

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय: डा0 सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त का लंबित पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति ।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 478(3) दिनांक 02.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा डा0 सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (सेवा निवृत्ति की तिथि-31.01.2024) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश द्वारा मात्र 90% औपबधिक पेंशन की स्वीकृति दी गयी थी।

2. विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं0 569(9) दिनांक 02.06.2026 द्वारा डा0 सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक 05%(पंच प्रतिशत) पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया गया है ।

3 अतः वर्णित स्थिति में डा0 सुभाष प्रसाद सिंह को सेवानिवृत्ति की तिथि से 02(दो) वर्षों तक 95% पेंशन (दिनांक-01.02.2024 से 31.01.2026 तक) तथा दिनांक-31.01.2026 के पश्चात 100% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4 प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(रेणु कुमारी)

ज्ञापक

660(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

22/7/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0डा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 सुभाष प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, पत्राचार का पता-मुहल्ला-जी0-04, टी भागवती कॉम्पलेक्स, नियर सॉई मंदिर, नवल किशोर रोड, डाकघर+थाना-कदमकुआँ, पटना, पिन-800003, मो0 8709946890 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी